57

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

कोर्ट फी / COURT FEE — 20रु. TWENTY RUPEES; 5 रु. Rs.5 FIVE RUPEES; 5 रु. Rs.5 FIVE RUPEES — Rs 30/-

1- लक्षमण नट तनय परमेश्वर नट उम्र 65 साल — III/नि/रीवा/भू.रा. 2017/1824

2- सुखी लाल नट तनय परमेश्वर नट उम्र 58 साल,

3- बच्चन नट तनय सुखीलाल नट उम्र 32 साल

सभी निवासी ग्राम कुआं तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

... निगरानी कर्ता गण

अधि0 श्री सन्तोष सोनी द्वारा पेश 16.6.17

बनाम

शिवदयाल पटेल पिता काशीनाथ पटेल उम्र 70 साल , निवासी ग्राम टीटहरी तहसील रायपुर कर्चु0 जिलारीवा म0प्र0 ... गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार सर्किल मनिकवार तहसील रायपुर कर्चु0 जिलारीवा म0प्र0 के प्र.क्र. 44/प्रवाचक/41/2016-17 आदेश दि0 6.6.2017 के विरुद्ध निगरानी ।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

1- यह कि अधीन न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया काबिल निरस्तगी योग्य है ।

2- यह कि आ.नं. 253 रकबा 0.29 डि0 भूमि स्थित ग्राम कुआ पटवारी हल्का टीटहरी तहसील रायपुर कर्चु0 सर्किल डेल्ही अब मनिकवार जिला रीवा म0प्र0 की भूमि निगरानी कर्ता गण के पिता द्वारा विश्वनिया काछी द्वारा 7.00 रुपये मे क्रय किया था, तबसे निगरानी कर्ता गण उक्त भूमि मे मकान बनाकर वर्ष 1947 से निवास करते चले आ रहे है, और अपने परिवार के साथ उक्त मकान मे आबाद है, पानी की बारिश की वजह से मकान जीर्णशीर्ण अवस्था मे हो गया था, जिससे निगरानीकर्ता गण उक्त मकान का नए सिरे से मरम्मत कर उसी जगह मे निर्माण कर रहे है, जिसमे

क्र.. लक्ष्मणनट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/1824

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/7/18	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त मनिकवार तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण कमांक 44/प्रवा0/41/2015–16 में दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 6–6–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को मं बताया कि ग्राम कुआ की भूमि सर्वे कमांक 253 रकबा 0.29 डि. आवेदक के पिता ने कय की थी एंव सन 1947 से मकान बनाकर रहते आ रहे हैं। अधिक वारिस की बजह से मकान जीर्णशीर्ण अवस्था में होने से मकान की मरम्मत के बजाय निर्माण कर रहे हैं परन्तु बिना जांच किये ही नायव तहसीलदार ने स्थगन आदेश दिनांक 6–6–17 पारित करने में भूल की हे इसलिये नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जावे। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक व्दारा नायव तहसीलदार वृत्त मनिकवार तहसील रायपुर कर्चुलिया के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 का दावा प्रस्तुत कर बताया गया कि उसके स्वामित्व की ग्राम कुआ स्थित भूमि सर्वे कमांक 253 रकबा 0.085 हैक्टर के अंश भाग 12X25 वर्गफुट पर आवेदकगण व्दारा जबरन मकान निर्माण किया जा रहा है। अनावेदक के दावे में अंकित तथ्यों की जांच हेतु हलका पटवारी	

को मौके पर भेजकर कराई गई, जिसमें पाया गया कि आवेदकगण व्दारा अनावेदक की ग्राम कुआ स्थित भूमि सर्वे कमांक 253 रकबा 0.085 हैक्टर के अंश भाग 12**X**25 बर्गफुट पर मकान निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण आवेदकगण को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देनेएंव पूर्ण जांच करने के उद्वेश्य से नायव तहसीलदार वृत्त मनिकवार तहसील रायपुर कर्चुलियान ने अंतरिम आदेश दिनांक 6–6–17 पारित करके कार्य रूकवाने का निर्णय लिया है। आवेदकगण को नायव तहसीलदार के समक्ष वादित भूमि उनकी है, प्रमाणित करने एंवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 6–6–17 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य